



सराहनीय कार्य



इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 26.09.2024

लूट/चोरी की योजना बना रहे 04 अभियुक्तों को इटावा पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 टैम्पो, 03 तमचा 315 बोर, 03 खोखा व 07 जिन्दा कारतूस, 01 चाकू, 03 मोबाइल फोन एवं योजना में प्रयुक्त उपकरण किये गये बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन में एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में **थाना चौबिया पुलिस** द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना/गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं लूट/चोरी की घटना के शीघ्र अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 25/26.09.2024 की रात्रि को थाना चौबिया पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत नगला पीपली पुलिया पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी। इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि भदामई रोड के पास कुछ व्यक्ति टैम्पों में बैठ कर लूट/चोरी करने की योजना बना रहे है। जिनके पास अवैध हथियार भी है। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम जब भदामई रोड के पास पहुंची तो टैम्पों सवार व्यक्तियों द्वारा जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर फायरिंग की गयी। पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करते हुये 04 अभियुक्तों को **भदामई रोड से समय 1.30 बजे** गिरफ्तार किया गया।

पुलिस पूछताछ-

पकड़े गये व्यक्तियों से पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करते हुए उनकी तलाशी ली गयी तो उनके कब्जे से कुल 03 तमचा 315 बोर, 07 जिन्दा व 03 खोखा कारतूस 315 बोर, 01 अवैध चाकू, 01 टैम्पो एवं लूट/चोरी की योजना में प्रयुक्त उपकरण, 6,000/- रु0 नकद, 03 मोबाइल बरामद किये गये। बरामद नकदी के संबंध में पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 12.08.2024 को हम सभी ने थाना कोतवाली क्षेत्र के नौरंगावाद में चोरी की घटना को अंजाम दिया था तथा दिनांक 19.08.2024 को थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत यमुना बिहार कालोनी में चोरी की थी। इन दोनो चोरियों के सामान को बेचकर जो रुपये प्राप्त हुये थे हम सभी ने आपस में बांट लिये थे जिन्हे हमने खर्च कर दिया है। यह रुपये शेष बचे है। **उक्त दोनो चोरियों के संबंध में जानकारी करने पर पाया गया कि थाना कोतवाली पर**

मु0अ0सं0 222/24 व मु0अ0सं0 226/24 धारा 305 बीएनएस पंजीकृत है।

उक्त बरामदगी/गिरफ्तारी एवं पुलिस मुठभेड़ के संबंध मे थाना चौबिया पर मु0अ0सं0 108/2024 धारा 109(पुलिस मुठभेड़)/312/313/317(2) बीएनएस व धारा 3/4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया।

एवं बरामद टैम्पो को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. राजीव वर्मा उर्फ सूरज पुत्र जागेश्वर निवासी थाना सिविल लाइन इटावा मूल निवासी ग्राम नारायनपुरा थाना दिबीयापुर जनपद औरैया **उम्र 24 वर्ष**।
2. कल्लू उर्फ रामनरेश राजपूत पुत्र रामबाबू निवासी ग्राम मुँरैठा थाना इकदिल इटावा **उम्र 23 वर्ष**।
3. सोनू पुत्र कमलेश निवासी हाल पता चौगुर्जी थाना कोतवाली जनपद इटावा स्थायी पता ग्राम खोजापुर थाना सिकन्दरा कानपुर देहात **उम्र 23 वर्ष**।
4. राहुल राजपूत पुत्र सुखराम निवासी काशीराम कालोनी थाना सिविल लाइन जनपद इटावा **उम्र 24 वर्ष**।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 108/2024 धारा 109(पुलिस मुठभेड)/312(लूट/चोरी की योजना) /313(गिरोह बनाना)/317(2)(बरामदगी) बीएनएस व धारा 3/4/25 आयुध अधिनियम थाना चौबिया जनपद इटावा ।

आपराधिक इतिहास-

राजीव वर्मा उर्फ सूरज पुत्र जागेश्वर (कुल अभियोग -06)

1. मु0अ0सं0 162/2020 धारा 411/413 भादवि थाना कोतवाली इटावा
2. मु0अ0सं0 164/2020 धारा 4/25 आर्म एक्ट थाना कोतवाली इटावा
3. मु0अ0सं0 78/2024 धारा 401 भादवि व 3/25 आर्म एक्ट थाना सिविल लाइंस इटावा
4. मु0अ0सं0 226/2024 धारा 305 BNS थाना कोतवाली इटावा
5. मु0अ0सं0 222/2024 धारा 305 BNS थाना कोतवाली इटावा
6. मु0अ0सं0 108/2024 धारा 109 बी0एन0एस(पुलिस मुठभेड)312/313/317(2)BNS व धारा 3/25 आयुध अधिनियम

कल्लू उर्फ रामनरेश राजपूत (कुल अभियोग -08)

1. मु0अ0सं0 442/2020 धारा 411/413 भादवि थाना कोतवाली इटावा
2. मु0अ0सं0 444/2020 धारा 4/25 आर्म एक्ट थाना कोतवाली इटावा
3. मु0अ0सं0 201/2022 धारा 380/411/457 भादवि थाना फ्रेंड्स कालोनी इटावा
4. मु0अ0सं0 308/2020 धारा 379/411 भादवि थाना सिविल लाइंस इटावा
5. मु0अ0सं0 78/2024 धारा 401 भादवि व 3/25 आर्म एक्ट थाना सिविल लाइंस इटावा
6. मु0अ0सं0 226/2024 धारा 305 BNS थाना कोतवाली इटावा
7. मु0अ0सं0 222/2024 धारा 305 BNS थाना कोतवाली इटावा
8. मु0अ0सं0 108/2024 धारा 109 बी0एन0एस(पुलिस मुठभेड)312/313/317(2)BNS व धारा 3/25 आयुध अधिनियम

सोनू पुत्र कमलेश (कुल अभियोग -08)

1. मु0अ0सं0 476/2019 धारा 413/414 भादवि थाना कोतवाली इटावा
2. मु0अ0सं0 470/2020 धारा 34/379/411 भादवि थाना कोतवाली इटावा
3. मु0अ0सं0 472/2020 धारा 4/25 आर्म एक्ट थाना कोतवाली इटावा
4. मु0अ0सं0 202/2018 धारा 380/411 भादवि थाना फ्रेंड्स कालोनी इटावा
5. मु0अ0सं0 146/2022 धारा 60 आबकारी एक्ट थाना इकदिल इटावा
6. मु0अ0सं0 226/2024 धारा 305 BNS थाना कोतवाली इटावा
7. मु0अ0सं0 222/2024 धारा 305 BNS थाना कोतवाली इटावा
8. मु0अ0सं0 108/2024 धारा 109 बी0एन0एस(पुलिस मुठभेड)312/313/317(2)BNS व धारा 3/25 आयुध अधिनियम

राहुल राजपूत पुत्र सुखराम (कुल अभियोग -04)

1. मु0अ0सं0 655/2020 धारा 4/25 आर्म एक्ट थाना कोतवाली इटावा
2. मु0अ0सं0 226/2024 धारा 305 BNS थाना कोतवाली इटावा
3. मु0अ0सं0 222/2024 धारा 305 BNS थाना कोतवाली इटावा
4. मु0अ0सं0 108/2024 धारा 109 बी0एन0एस(पुलिस मुठभेड)312/313/317(2)BNS व धारा 3/25 आयुध अधिनियम

बरामदगी:-

1. 03 तंमचा 315 बोर
2. 03 खोखा कारतूस 315 बोर
3. 07 जिन्दा कारतूस 315 बोर
4. 01 चाकू
5. नकद 6000/- रूपये (मु0अ0सं0 222/24 व मु0अ0सं0 226/24 धारा 305 बीएनएस से संबंधित)
6. 01 लोहे की राड
7. 01 पेचकस
8. 01 प्लास
9. 01 चाबी का गुच्छा
- 10.01 आरी का ब्लेड
- 11.01 टेम्पो सं0 UP75BT5113 (अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट सीज)
- 12.03 मोबाइल

पुलिस टीम- उ0नि0 श्री बेचन कुमार सिंह थानाध्यक्ष चौबिया, उ0नि0 दर्शन सिंह, का0 पुष्पेन्द्र सिंह, का0 धर्मेन्द्र कुमार, का0 आशीष कुमार, का0 चालक देवेश कुमार ।

नोट:- उक्त सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम के उत्साहवर्धन हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा 10,000/- रूपये से पुरस्कृत किया गया ।